राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः–एफ 11/DTNT/जाति पहचान.प्र.प/सान्याअवि/21/ 54286 जयपुर दिनांक 8/11/2021

परिपत्र

विषय :– राज्य में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबध में।

जैसा कि विदित है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(एफ) (2)एस डब्लू /63 दिनांक 24.02.1964 द्वारा राज्य में 32 विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों को सूचीबद्ध किया गया है। (परिशिष्ट ए) जिनमें से कुछ जातियां राजस्थान राज्य के लिये जारी अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग में सम्मिलित हैं परन्तु कुछ जातियां किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा इन जातियों के उत्थान एवं कल्याण के लिये समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही है। विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची में जो जातियां अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित है ऐसी जातियों के लिये जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था पूर्व से ही विहित है। परन्तु जो जातियां अनुसूचित जाति व अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है, अर्थात उक्त जातियां सामान्य वर्ग में सम्मिलित है, उन जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र के अभाव में इन योजनाओं का लाभ लिये जाने से वंचित रह जाना पडता है।

प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार–विमर्श कर तत्पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के व्यक्तियों को उनकी जाति के पहचान हेतु विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र जारी किया जाये। ताकि उक्त विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति के व्यक्ति उक्त पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर इनके लिये संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र हो सके।

अतः इस संबध में यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त सूचीबद्ध परिशिष्ट ए के अनुसार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों के व्यक्तियों द्वारा राज्य में कार्यरत ई–मित्र केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं जिले में नेशनल ई– गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किए गए CSS केन्द्रों (नागरिक सेवा केन्द्र) के माध्यम से ऑन लाइन सलंग्न प्रारूप परिशिष्ट अ के अनुसार आवेदन किया जायेगा। तथा सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये आवेदक के समस्त प्रविशिष्टीयों का परीक्षण कर यदि सही पाई जाती है तो निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट ब के अनुसार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र 10 दिवस में डिजीटली हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जावेगा।

उक्त प्रमाण पत्र हेतु आवेदक की जाति की पुष्टि के लिये प्रथमतया आवेदक के पैतृक/ स्वंय के राजस्व रिकार्ड आदि मे उसके जाति का परीक्षण करवाया जायेगा इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो शैक्षणिक रिकार्ड/नगरपालिका/ग्राम पंचायत के रिकार्ड का भी जांच/परीक्षण किया जा सकेगा जिसमे उसके स्वयं /पैतृक जाति की पुष्टि होती हो।

इसके अलावा यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी यदि राज्य के State Resident Data Hub, Jan Aadhar data, Raj E- vault and other avialable metadata in State data respository पर उपलब्ध हो तो उन समस्त सूचनाओं/जानकारीयों

का आन–लाइन सत्यापित किया जा सकेगा। ... डाटा/सूचना उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त करने के उदेश्य से, हार्ड कॉपी में सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी

उक्त जारी किये जाने वाले विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र का रिकार्ड संधारित किया जायेगा तथा उक्त पहचान प्रमाण पत्र का आवश्यकता होने पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा ऑन–लाईन सत्यापन किया जा सकेगा।

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

(डा. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांकः–एफ 11/DTNT/जाति पहचान.प्र.प/सान्याअवि/21/ 54286-54368 जयपुर दिनांक 8/11/2

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1) प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2) प्रमुख सचिव/शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर
5) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर
6) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर
7) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
8) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर
9) आयुक्त सूचना एवं प्राद्योगिकी विभाग, आयोजना भवन जयपुर को भेजकर आग्राह है कि कृपया उक्त प अनुसार ऑन लाईन प्रमाण पत्र जारी करने की समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।
10) समस्त संभागीय आयुक्त..
11) समस्त जिला कलक्टर को भेजकर निर्देशित किया जाता है परिपत्र में वर्णितानुसार पालना सुनिश्चित करावें
12) समस्त जिला पुलिस अधीक्षक..
13) समस्त उपखण्ड अधिकारी...
14) सयुक्त निदेशक आईटी मुख्यावास सान्याअवि को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र को वि बेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही करावे।
15) उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला
16) परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सान्याअवि।
17) गार्ड फाईल

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट "ए"

LIST OF DENOTIFIED TRIBES, NOMADIC TRIBES AND SEMI NOMADIC TRIBES
विमुक्त, घुमन्तू जातियों और अर्द्ध घुमन्तू जातियों की सूची

Denotified Tribes (विमुक्त जातियां)

1 Baori (बावरी)
2 Kanjar (कंजर)
3 Sansi (साँसी)
4 Bagri(Bawaria) (बागरी)(बावरिया)
5 Mogia (मोगिया)
6 Nut (नट)
7 Naik (नाइक)
8 Multanis (मुल्तानिस)
9 Bhat (भाट)

Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes (घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातियां)

Nomadic Tribes (घुमन्तू जातियां)

1 Baldias (Banjaras) (बालदीयाज) (बंजारा)
2 Pardhis (परधिस)
3 Domabaris (दोमाबरिस)
4 Gadia Lohars (गाडिया–लोहार)
5 Iranis (इरानिस)
6 Jogi Kalbelia (जोगी कालबेलिया)
7 Jogi Kanphata (जोगी कनफटा)
8 Khurpalts (Kulphaltas) (खुरपलट्स) (कुलफलट्स)
9 Shikkaligar (सिकलीगर)
10 Ghisadis (घीसादिस)

Semi Nomadic Tribes (अर्द्धघुमन्तू जातियां)

1 Sarangiwala-Bhopas (सारंगीवाला –भोपा)
2 Rebaris (रैबारी)
3 Raths (राठ)
4 Mangalias (मंगलियास)
5 Bhayas (भाया)
6 Kannis (कन्नीस)
7 Janglus (जंगलस)
8 Jalukus (जालूकूस)
9 Jhangs (झानस)
10 Sindlus (सिन्दुलस)
11 Jogis -(other then those included in Nomadic Tribes) (जोगी)(घुमन्तु जातियों में शामिल को छोडकर)
(i) Girinaths (गिरिनाथ)
(ii) Ajaipals (अजयपाल)
(iii) Agamnaths (अगमनाथ)
(iv) Namanths (नामाथ)
(v) Jalandhars (जालंधर)
(vi) Masanis (मसानी)
12 Ramaswamies (रामास्वामी)
13 Bharaddi-jadhavs (भारादिजाधव)

3

परिशिष्ठ –अ

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

जनाधार कार्ड सं:–

प्राथी का फोटो (पासपोर्ट साईज)

1. प्रार्थी का नाम*
2. आवेदक के पिता का नाम*
3. आवेदक की माता का नाम*
4. माता–पिता का नाम ज्ञात नहीं होने की स्थिति में संरक्षक का नाम
5. निवासी स्थान का पूर्ण पता*

(क) अस्थाई पता :–

(ख) स्थाई पता :–

6. गाँव/शहर* तहसील* जिला* राज्य*
7. क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* हाँ नहीं

यदि नहीं है तो आवेदक का मूल राज्य....................जिला......................तहसील......................
पता..........

8. जन्म दिनांक: ___/___/___ जन्म स्थान उम्र
9. लिंग* पुरूष महिला
10. आवेदक की जाति ....
11. मोबाईल नम्बर (जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)
12. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विशिष्टयॉ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है कि मैं समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(एफ) (2)एस डब्लू /63 दिनांक 24.02.1964 के अनुसार विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों में सूचीबद्ध जाति से हूँ । यदि मेरे द्वारा किसी भी सूचना के मिथ्या एवं गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्वत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ –ब

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार ....जिला...............राजस्थान

फोटो

क्रमांक.................. दिनांक :

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति पहचान प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. श्री/श्रीमती/कुमारी ----------------------पुत्र/पुत्री (पिता का नाम) ---------------पुत्र/पुत्री (माता का नाम) -------------राजस्थान राज्य के जिला ---------------------- में ग्राम/नगर ---------------------- का/ की निवासी है तथा ये/और या इनका कुटुम्ब यहां स्थाई /अस्थाई रूप से निवास करता/करती हैं।

2. उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी ---------------------- समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1(एफ) (2)एस डब्लू /63 दिनांक 24.02.1964 के अनुसार सूचीबद्ध राजस्थान राज्य के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची में सम्मिलित वर्गो में से ---------- जाति ----------- वर्ग (विमुक्त या घुमन्तु या अर्द्धघुमन्तु में से कोई एक). का/की सदस्य हैं।

तहसीलदार का नाम व हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर/सील सहित

*(उक्त प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्ग के लिये संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिये मान्य है)